date under Section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt)]

Dr.SREEPARVATHY S.L., Under Secy

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

## सं. 65/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1421(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, ऐसे व्यक्ति को, इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक स्रोत जिससे उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है और जो एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख की रकम से अनिधक अखिल भारतीय आधार पर संगणित किए जाने वाले संकलित व्यापारावर्त रखते हों, के माध्यम से, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट आपूर्ति से भिन्न सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रुप में विनिर्दिष्ट करती है:

परंतु ऐसी आपूर्ति का सकल मूल्य, जिसकी गणना अखिल भारतीय स्तर पर की जानी है, संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट "विशेष श्रेणी के राज्यों" के मामले में, जम्मू-कश्मीर से भिन्न, 10 लाख की राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी-(पीटी)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th November, 2017

# No. 65/2017 - Central Tax

**G.S.R. 1421(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies the persons making supplies of services, other than supplies specified under sub-section (5) of Section 9 of the said Act through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under Section 52 of the said Act, and having an aggregate turnover, to be computed on all India basis, not exceeding an amount of twenty lakh rupees in a financial year, as the category of persons exempted from obtaining registration under the said Act:

Provided that the aggregate value of such supplies, to be computed on all India basis, should not exceed an amount of ten lakh rupees in case of "special category States" as specified in sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution, other than the State of Jammu and Kashmir.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt)]

Dr.SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

### सं. 66/2017-केंद्रीय कर

सा.का.िन.1422 (अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 40/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.िन. संख्या 1254(अ) तारीख

13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थीं या जिनके किए जाने का लोप किया गया था, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन सम्मिश्र उदग्रहण का विकल्प नहीं दिया था, को व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट पूर्ति के समय मालों की जावक पूर्ति पर जिसके अंतर्गत वह स्थितियां भी हैं जिन पर उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंध लागू होते हैं, केन्द्रीय कर का संदाय करेंगे और तदनुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और तद्धीन बनाए गए नियमों में यथावर्णित ब्यौरे और विवरिणयां प्रस्तुत करेंगे तथा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा कर के संदाय के लिए विहित अविध वह होगी जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या 40/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.िन. संख्या 1254(अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th November, 2017

#### No. 66/2017 - Central Tax

**G.S.R.1422 (E).**— In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) and in supercession of notification No. 40/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.1254(E), dated the 13th October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered person who did not opt for the composition levy under Section 10 of the said Act as the class of persons who shall pay the central tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause (a) of sub-section (2) of Section 12 of the said Act including in the situations attracting the provisions of Section 14 of the said Act, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter IX of the said Act and the rules made thereunder and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt)]

Dr.SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

**Note:** - The principal notification No.40/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1254(E), dated the 13th October, 2017.